EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1350—1360

Dated 24-09-2005

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2005

सा.का.नि. 329.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और महानियंत्रक कार्यालय, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न (वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1975 को जहां तक उनका संबंध अभिलेखापाल, गैस्टेटनर प्रचालक, दफ्तरी, चपरासी, फराश और चौकीदार के पदों से है और उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अधीन महानियंत्रक कार्यालय, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न में, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री में समूह 'घ' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री समूह 'घ' (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
1. अभिलेखपाल	5* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	2650-65-3300-70-4000 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा	व्यापार चिन्ह और भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री में ऐसे दफ्तरी जिन्होंने उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् नियम्रित आधार पर दो वर्ष की सेवा की है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति के लिए : 1. उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन —अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी —सदस्य 3. वरिष्ठ परीक्षक/परीक्षक व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन (ऐसा सदस्य जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करता हो) —सदस्य 4. परीक्षक, सहायक परीक्षक पेटेंट और डिजाइन —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
2. गैस्टेटनर प्रचालक	1* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	2650-65-3300-70-4000 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :—** व्यापार चिन्ह और भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री में ऐसे दफ्तरी जिन्होंने उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर दो वर्ष की सेवा की है। और जिनके पास गैस्टेटनर मशीनों के प्रचालन और अनुरक्षण में प्रवीणता हो और साथ ही मशीन प्रचालन में कम से कम छः मास का अनुभव हो।

13	14
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति के लिए : 1. उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन —अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी —सदस्य 3. वरिष्ठ परीक्षक/परीक्षक व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन (ऐसा सदस्य जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करता हो) —सदस्य 4. परीक्षक/सहायक परीक्षक पेटेंट और डिजाइन —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
3. दफ्तरी	16* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	2610–60–3150–65–3540 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा	व्यापार चिन्ह और भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री के ऐसे चपरासी जिन्होंने उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर दो वर्ष की सेवा की है।

13	14
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति के लिए : 1. उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन —अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी —सदस्य 3. वरिष्ठ परीक्षक/परीक्षक व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन (ऐसा सदस्य जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करता हो) —सदस्य 4. परीक्षक/सहायक परीक्षक पेटेंट और डिजाइन —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
4. चपरासी	31* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	2550–55–2660–60–3200 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
18 से 25 वर्ष के बीच : (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	मिडिल स्कूल स्टैंडर्ड उत्तीर्ण अर्थात् आठवां स्तर उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष

7
टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

11	12
(i) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 25 प्रतिशत स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**स्थानांतरण :—** व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन के ऐसे फराश/चौकीदार :— (i) जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और (ii) जो कम से कम प्रारंभिक साक्षरता रखता हो और अंग्रेजी या हिंदी या किसी प्रादेशिक भाषा को पढ़ने की योग्यता का सबूत देता हो। **टिप्पण :**—स्थानांतरण के लिए पात्रता सूची, किसी संबंधित श्रेणी (श्रेणियों) के पदधारी (पदधारियों) द्वारा विहित अर्हता सेवा के पूरा होने की तारीख के संदर्भ के साथ तैयार की जाएगी।

13	14
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति, सीधी भर्ती के लिए और स्थानांतरण तथा पुष्टि के लिए : 1. उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन —अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी —सदस्य 3. वरिष्ठ परीक्षक/परीक्षक व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन (ऐसा सदस्य जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करता हो) —सदस्य 4. परीक्षक/सहायक परीक्षक पेटेंट और डिजाइन —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
5. फराश	07* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	2550-55-2660-60-3200 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
18 से 25 वर्ष के बीच : (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	वांछनीय : प्राथमिक शिक्षा उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

13	14
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति के लिए : 1. उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन —अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी —सदस्य 3. वरिष्ठ परीक्षक/परीक्षक व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन (ऐसा सदस्य जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करता हो) —सदस्य 4. परीक्षक/सहायक परीक्षक पेटेंट और डिजाइन —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
6. चौकीदार	06* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	2550–55–2660–60–3200 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	**वांछनीय :** प्राथमिक शिक्षा उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

13	14
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति, चयन और पुष्टि के लिए : 1. उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन —अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी —सदस्य 3. वरिष्ठ परीक्षक/परीक्षक व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन (ऐसा सदस्य जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करता हो) —सदस्य 4. परीक्षक/सहायक परीक्षक पेटेंट और डिजाइन —सदस्य	लागू नहीं होता

[सं. 8/8/2004–आई पी आर–1]

टी. सी. जेम्स, उप सचिव

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2005

G.S.R. 329.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, (Group 'D') Recruitment Rules 1975, in so far as they relate to the posts of Record Keeper, Gestetner Operator, Daftry, Peon, Frash and Chowkidar except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the President hereby makes the following rules regulating the

28 38 CGI/05-2

method of recruitment to Group 'D' (Non-Gazetted) posts in the Trade Marks and Geographical Indications Registry in the Office of the Controller General of Patents, Designs, Trade Marks and Geographical Indications, under Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Trade Marks and Geographical Indications Registry Group 'D' (Non-Gazetted) Recruitment Rules 2005.

(2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification**—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or,

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government, from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection or Non-Selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
1. Record Keeper	*05(2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'D' (Non-Gazetted) Non-Ministerial	Rs. 2,650-65-3,300-70-4,000	Non-Selection	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and eudcational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
By promotion	Daftaries in the Trade Marks and Geographical Indications Registry with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'D' Departmental Promotion Committee for Promotion : 1. Deputy Registrar/Assistant Registrar of Trade Marks and Geographical Indications —Chairman 2. Administrative Officer —Member 3. Senior Examiner/Examiner of Trade Marks and Geographical Indications (member representing Scheduled Caste/Scheduled Tribes) —Member 4. Examiner/Assistant Examiner of Patents and Designs —Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6
2. Gestetner Operator	*01 (2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'D' (Non-Gazetted) Non-Ministerial	Rs. 2,650-65-3,300-70-4,000	Non-Selection	Not applicable

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12
By promotion	**Promotion :** Daftaries in the Trade Marks and Geographical Indications Registry with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and having proficiency in operating and maintaining Gestetner Machine with at least six months' experience in operating the machine.

13	14
Group 'D' Departmental Promotion Committee for Promotion : 1. Deputy Registrar/Assistant Registrar of Trade Marks and Geographical Indications —Chairman 2. Administrative Officer —Member 3. Senior Examiner/Examiner of Trade Marks and Geographical Indications (member representing Scheduled Caste/Scheduled Tribes) —Member 4. Examiner/Assistant Examiner of Patents and Designs —Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6
3. Daftary	*16(2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'D' (Non-Gazetted) Non-Ministerial	Rs. 2,610-60-3,150-65-3,540	Non-Selection	Not applicable

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12
By promotion	Peons in the Trade Marks and Geographical Indications Registry with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis

13	14
Group 'D' Departmental Promotion Committee for Promotion: 1. Deputy Registrar/Assistant Registrar of Trade Marks and Geographical Indications —Chairman 2. Administrative Officer —Member 3. Senior Examiner/Examiner of Trade Marks and Geographical Indications (member representing Scheduled Caste/Scheduled Tribes) —Member 4. Examiner/Assistant Examiner of Patents and Designs —Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6
4. Peon	*31(2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'D' (Non-Gazetted Non-Ministerial)	Rs. 2550-55-2660-60-3,200	Non-Selection	Not applicable

7	8	9	10
Between 18 to 25 years. (Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note.**—The crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Middle School Standard pass. i.e. VIII Standard. Pass.	Not applicable	Two years for direct recruits.

11	12
(i) 75% by direct recruitment. (ii) 25% by Transfer failing which by direct recruitment.	**Transfer:** Frash/Chowkidar of Trade Marks and Geographical Indications Registry— (i) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis; and (ii) who, at least, possess elementary literacy and give proof of ability to read either English or Hindi or the Regional language. **Note:** The eligibility list for transfer shall be prepared with reference to the date of completion of the prescribed qualifying service by the official(s) in the respective grade(s).

13	14
Group 'D' Departmental Selection Committee for recruitment by direct recruitment and transfer and also for confirmation. 1. Deputy Registrar/Assistant Registrar of Trade Marks and Geographical Indications —Chairman 2. Administrative Officer —Member 3. Senior Examiner/Examiner of Trade Marks and Geographical Indications (member representing Scheduled Caste/Scheduled Tribes) —Member 4. Examiner/Assistant Examiner of Patents and Designs —Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6
5. Farash	*07 (2005) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'D' (Non-Gazetted) Non-Ministerial	Rs. 2,550-55-2,660-60-3,200	Non-Selection	Not applicable

7	8	9	10
Between 18 to 25 years. (Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note:**— The crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	**Desirable** : Primary School Pass.	Not applicable	Two years

11	12
By direct recruitment	Not applicable

13	14
Group 'D' Departmental Selection Committee for Selection and Confirmation : 1. Deputy Registrar/Assistant Registrar of Trade Marks and Geographical Indications —Chairman 2. Administrative Officer —Member 3. Senior Examiner/Examiner of Trade Marks and Geographical Indications (representing Scheduled Caste/Scheduled Tribes) —Member 4. Examiner/Assistant Examiner of Patents and Designs —Member	Not applicable

2838 C 21/05-3

1	2	3	4	5	6
6. Chowkidar	*06 (2005) *Subject to to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'D' (Non-Gazetted) Non-Ministerial.	Rs. 2,550-55-2,660-60-3,200	Non-Selection	Not applicable

7	8	9	10
Between 18 to 25 years. (Relaxable for Government Servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note :**—The date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	**Desirable :** Primary School Pass.	Not applicable	Two years

11	12
By direct recruitment	Not applicable

13	14
Group 'D' Departmental Selection Committee for Selection and Confirmation : 1. Deputy Registrar/Assistant Registrar of Trade Marks and Geographical Indications —Chairman 2. Administrative Officer —Member 3. Senior Examiner/Examiner of Trade Marks and Geographical Indications (representing Scheduled Caste/Scheduled Tribes) —Member 4. Examiner/Assistant Examiner of Patents and Designs —Member	Not applicable.

[No. 8/8/2004-IPR-1]
T. C. JAMES, Dy. Secy.

MGIPRRND—2838 C & I/2005—100.